भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 448
बुधवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>हरित हाइड्रोजन को बढावा देना</u>

448. श्री सुब्बारायण के.:
श्री सेल्वाराज वी.: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ऊर्जा के नए नवीकरणीय स्रोत के रूप में हरित हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में और अधिक इलेक्ट्रोलाइजर और ग्रीन हाइड्रोजन इकाइयों की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सौर ऊर्जा को पहले से ही अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में बढ़ावा दे रहा है। देश में दिनांक 31 अक्तूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, कुल सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 92.12 गीगावाट तक पहुंच चुकी है।

इसके अतिरिक्त, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। इस मिशन को केन्द्रीय मंत्रीमंडल द्वारा 19,744 करोड़ रु. के कुल परिव्यय के साथ जनवरी, 2023 में अनुमोदित किया गया था। इस मिशन में निम्नलिखित घटक हैं:

i. ग्रीन हाइड्रोजन परिवर्तन के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप (साइट) कार्यक्रम, जिसमें इलेक्ट्रोलाइजरों के विनिर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं;
ii. ग्रीन स्टील, मोबिलिटी, नौवहन, विकेन्द्रीकृत ऊर्जा अनुप्रयोग, बायोमास से हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन भंडारण आदि के लिए पायलट परियोजनाएं;
iii. ग्रीन हाइड्रोजन केन्द्रों का विकास;
iv. विनियमों और मानकों का एक मजबूत फ्रेमवर्क स्थापित करना;
v. अनुसंधान और विकास परियोजनाएं;
vi. कौशल विकास पहलें; और
vii. जन जागरुकता एवं पहुंच कार्यक्रम।

(ग) ग्रीन हाइड्रोजन परिवर्तन के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप (साइट) कार्यक्रम, मिशन के तहत एक प्रमुख घटक है, जो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और इलेक्ट्रोलाइजरों के स्वदेशी विनिर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।

i. इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना:

1) इलेक्ट्रोलाइजरों के स्वदेशी विनिर्माण के लिए इलेक्ट्रोलाइजरों के प्रदर्शन गुणांक और स्थानीय मूल्य संवर्धन सहित विभिन्न मानदंडों पर आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
2) साइट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशानिर्देश – घटक-I: इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना (ट्रांश-I), दिनांक 28 जून 2023 को जारी की गई। इस योजना के तहत, 8 कंपनियों को प्रति वर्ष 1500 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता आवंटित की गई है
3) साइट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशानिर्देश – घटक-I: इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना (ट्रांश-II), दिनांक 16 मार्च 2024 को जारी की गई। इस योजना के अंतर्गत, दिनांक 27 अगस्त 2024 को 1500 मेगावाट प्रति वर्ष इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता के आवंटन के लिए 11 कंपनियों का चयन किया गया है।

ii. ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना:

1) साइट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशानिर्देश – घटक-II: ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना (मोड 1 के तहत), दिनांक 28 जून, 2023 को जारी की गई। इस योजना के अंतर्गत, 10 कंपनियों को प्रति वर्ष 4,12,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता आवंटित की गई है।
2) ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु 3 वर्षों के लिए क्रमशः 50 रुपये/किलोग्राम, 40 रुपये/किलोग्राम और 30 रुपये/किलोग्राम की दर से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

*****